संख्या-236 /18-4-2022-10(बजट)/07

प्रेषक,

नवनीत सहगल
अपर मुख्य सचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
   उ0प्र0शासन
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उ0प्र0
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी उ0प्र0

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग- 4 लखनऊः दिनांक 13 मई, 2022

विषयः त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत प्रदेश के निर्यातकों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर विपणन विकास हेतु वित्तीय सहायता।

महोदय,

प्रदेश के निर्यातकों में पारस्परिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने, विपणन सामर्थ्य के विकास, प्रमुख वैश्विक बाजारों एवं उनकी मांग के विषय में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र के निर्यातकों को विपणन विकास सहायता योजनान्तर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने के प्राविधान किये गये हैं। उक्त के क्रम में शासनादेश संख्या-1000/18-4-2020-58(विविध)/14, दिनांक 17 दिसम्बर 2020 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश निर्यात नीति 2020-25 में उल्लिखित दिशा निर्देशों के क्रम में "त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजना" के अन्तर्गत "अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यातकों के लिये विपणन सहायता कार्यक्रम" को समयानुकूल एवं युक्तिसंगत बनाये जाने का निर्णय लिया गया है। अतः उक्त को दृष्टिगत रखते हुए "त्वरित निर्यात विकास प्रोत्साहन योजना" के अन्तर्गत "अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्यातकों के लिये विपणन सहायता कार्यक्रम" को समयानुकूल एवं युक्तिसंगत बनाये जाने हेतु पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए योजनान्तर्गत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराये जाने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धो के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1- योजनान्तर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम-2006 द्वारा समय-समय पर परिभाषित उत्तर प्रदेश की समस्त सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम श्रेणी की ऐसी निर्यातक इकाइयॉ, जो आवेदन के समय निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश में पंजीकृत होंगी

तथा केन्द्र/राज्य सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा गठित की गयी निर्यात संवर्धन परिषदें तथा राज्य स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदित निर्यातक एवं औद्योगिक संगठन भी इस योजना हेतु सुसंगत प्राविधानों के अधीन निम्नांकित प्रयोजनों हेतु आर्थिक सहायता निम्नानुसार अनुमन्य होगी -

(1.1) विदेशी अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के स्वदेशी मेला-प्रदर्शनी, बायर्स-सेलर्स मीट में प्रतिभाग अथवा आयोजन हेतु आर्थिक सहायता।

(1.2) निर्यात उत्पादों के प्रचार-प्रसार हेतु विज्ञापन, वेबसाइट, कैटलॉग आदि के प्रकाशन, निर्माण एवं मुद्रण आदि हेतु आर्थिक सहायता।

(1.3) विदेशी क्रेता को नमूने (Free Trade Sample) भेजने हेतु आर्थिक सहायता।

(1.4) गुणवत्ता नियंत्रण से सम्बन्धित प्रमाणीकरणों हेतु आर्थिक सहायता।

2. योजनान्तर्गत उपर्युक्त प्रस्तर-2 में उल्लिखित प्रयोजनों हेतु निम्नानुसार आर्थिक सहायता अनुमन्य होगी।

1	निर्यातक इकाई के व्यक्तिगत रूप से विदेशी मेला-प्रदर्शनी अथवा बायर्स-सेलर्स मीट में भाग लेने हेतु आर्थिक सहायता।	(क)	इस प्रयोजन हेतु एक निर्यातक इकाई को स्थल किराये के रूप में व्यय की गयी वास्तविक धनराशि का 60 प्रतिशत, अधिकतम धनराशि रू0 2.00 लाख की आर्थिक सहायता अनुमन्य होगी।
		(ख)	मेला प्रदर्शनी में प्रतिभाग हेतु इकाई के स्वामी/साझेदार/निदेशक अथवा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा वायुयान के इकोनॉमी क्लास में की गयी यात्रा पर व्यय की गयी वास्तविक धनराशि का 50 प्रतिशत, अधिकतम धनराशि रु0 1.00 लाख की आर्थिक सहायता केवल एक व्यक्ति हेतु अनुमन्य होगी, परन्तु इस हेतु प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता किसी भी दशा में निर्यातक द्वारा स्थल किराये में निर्यातक अंश के रूप में व्यय की गयी धनराशि से अधिक नहीं होगी।

		(ग)	इस श्रेणी के अन्तर्गत आर्थिक सहायता केवल उन्हीं मेला-प्रदर्शनियों एवं बायर्स-सेलर्स मीट में प्रतिभाग हेतु अनुमन्य होगी जिनका आयोजन केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन गठित निर्यात संवर्धन परिषदों द्वारा किया गया हो अथवा प्रश्नगत मेला-प्रदर्शनी एवं बायर्स-सेलर्स मीट केन्द्र/ विभिन्न राज्य सरकारों/अपेक्स ट्रेड बाडीज़/ कमोडिटी बोर्डस/वाणिज्य दूतावासों द्वारा संस्तुत या अधिसूचित किया गया हो।
2	निर्यातक इकाई द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के वर्चुअल फेयर में प्रतिभाग करने पर आर्थिक सहायता	(क)	अन्तर्राष्ट्रीय वर्चुअल बी2बी एग्जीबीशन्स अथवा बायर्स-सेलर्स मीट में प्रतिभाग हेतु निर्यातक इकाई द्वारा किये गये कुल व्यय धनराशि का 60 प्रतिशत, अधिकतम धनराशि रू0 25000/- प्रति फेयर की आर्थिक सहायता अनुमन्य होगी।
		(ख)	इस श्रेणी के अन्तर्गत एक निर्यातक इकाई को एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम रु0 1.00 लाख की आर्थिक सहायता अनुमन्य होगी।
		(ग)	इस श्रेणी के अन्तर्गत आर्थिक सहायता केवल उन्हीं अन्तर्राष्ट्रीय वर्चुअल बी2बी एग्जीबीशन्स अथवा बायर्स-सेलर्स मीट के लिए अनुमन्य होगी, जिनका आयोजन केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन गठित एक्सपोर्ट प्रमोशन काउन्सिल्स, कमोडिटी बोर्ड्स अथवा निर्यातक संगठनों द्वारा किया गया हो।

3	अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के स्वदेशी मेलों में निर्यातक इकाई के व्यक्तिगत रूप से प्रतिभाग करने हेतु आर्थिक सहायता।	(क)	इस श्रेणी के अन्तर्गत आर्थिक सहायता केवल उन्हीं मेला-प्रदर्शनियों एवं बायर्स-सेलर्स मीट में प्रतिभाग हेतु अनुमन्य होगी जिनका आयोजन केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन गठित निर्यात संवर्धन परिषदों द्वारा किया गया हो अथवा प्रश्नगत मेला-प्रदर्शनी एवं बायर्स-सेलर्स मीट केन्द्र/विभिन्न राज्य सरकारों/अपेक्स ट्रेड बाडीज़/कमोडिटी बोर्डस/वाणिज्य दूतावासों द्वारा संस्तुत या अधिसूचित किया गया हो।
		(ख)	इस प्रयोजन हेतु एक निर्यातक इकाई को स्थल किराये के रूप में व्यय की गयी वास्तविक धनराशि का 60 प्रतिशत, अधिकतम धनराशि रू0 50,000/- की आर्थिक सहायता अनुमन्य होगी।
		(ग)	मेला प्रदर्शनी में प्रतिभाग हेतु इकाई के स्वामी/साझेदार/निदेशक अथवा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा बस/रेल/वायुयान के इकोनॉमी क्लास में की गयी यात्रा पर व्यय की गयी वास्तविक धनराशि का 50 प्रतिशत, अधिकतम धनराशि रु0 25,000/- (जो भी कम हो) की आर्थिक सहायता केवल एक व्यक्ति हेतु अनुमन्य होगी।
4	विदेश में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की मेला-प्रदर्शनियों एवं बायर्स-सेलर्स मीट के आयोजन हेतु आर्थिक सहायता	(क)	इस श्रेणी के अन्तर्गत आर्थिक सहायता केन्द्र/राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/मंत्रालयों के अधीन गठित निर्यात संवर्धन परिषदों द्वारा विदेश में आयोजित किये

			जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के मेला-प्रदर्शनी एवं बायर्स-सेलर्स मीट के आयोजन हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।
		(ख)	इस श्रेणी के अन्तर्गत परम्परागत विदेशी बाजारों में आयोजित किए जाने वाले विभिन्न मेला-प्रदर्शनियों एवं बायर्स-सेलर्स मीट के आयोजन पर हुए कुल व्यय की 75 प्रतिशत अधिकतम रु0 75.00 लाख की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में आयोजक संस्था को उपलब्ध कराई जायेगी।
		(ग)	योजनान्तर्गत गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा अधिसूचित ऐसे अपरम्परागत विदेशी बाजारों जिनका प्रचुर निर्यात सम्भाव्यता के बावजूद प्रदेश के निर्यातकों द्वारा समुचित दोहन नहीं किया जा पा रहा है, में आयोजित किए जाने वाले विशेष श्रेणी के मेला-प्रदर्शनियों एवं बायर्स-सेलर्स मीट के आयोजन हेतु कुल व्यय की 90 प्रतिशत अधिकतम रु0 75.00 लाख की धनराशि उपलब्ध करायी जा सकेगी।
		(घ)	आयोजक संस्था द्वारा इस श्रेणी के अन्तर्गत आर्थिक सहायता हेतु मेला-प्रदर्शनी अथवा बायर्स-सेलर्स मीट के आयोजन के कम-से-कम एक माह पूर्व प्रतिभाग करने वाली सम्भावित निर्यातक इकाईयों की सूची एवं अनुमानित व्यय विवरण के साथ

			आवेदन किया जायेगा।
		(ड.)	परम्परागत विदेशी बाजारों में आयोजित किए जाने वाले विभिन्न मेला-प्रदर्शनियों एवं बायर्स-सेलर्स मीट में न्यूनतम 20 निर्यातक इकाइयों द्वारा तथा अपरम्परागत विदेशी बाजारों में आयोजित किए जाने वाले विभिन्न मेला-प्रदर्शनियों एवं बायर्स-सेलर्स मीट में न्यूनतम 10 निर्यातक इकाइयों द्वारा प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य होगा।
		(च)	मेला-प्रदर्शनियों अथवा बायर्स-सेलर्स मीट के आयोजन हेतु अनुमन्य आर्थिक सहायता की 50 प्रतिशत धनराशि अग्रिम के रूप में आयोजक संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। शेष धनराशि का भुगतान/ समायोजन आयोजक संस्था द्वारा सम्प्रेक्षित व्यय विवरण उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त किया जायेगा।
5	अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के स्वदेशी मेलों के आयोजन हेतु वित्तीय सहायता	(क)	इस श्रेणी के अन्तर्गत आर्थिक सहायता केन्द्र/राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/ मंत्रालयों के अधीन गठित निर्यात संवर्धन परिषदों द्वारा स्वदेश में आयोजित किये जाने वाले अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के मेला-प्रदर्शनी एवं बायर्स-सेलर्स मीट के आयोजन हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।

		(ख)	इस श्रेणी के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के स्वदेशी मेला-प्रदर्शनी एवं बायर्स-सेलर्स मीट के आयोजन पर हुए कुल व्यय की 75 प्रतिशत अधिकतम रु0 50.00 लाख की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में आयोजक संस्था को उपलब्ध कराई जायेगी।
		(ग)	इस श्रेणी के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के स्वदेशी मेला-प्रदर्शनी एवं बायर्स-सेलर्स मीट में न्यूनतम 30 निर्यातक इकाइयों द्वारा प्रतिभाग किया जाना अनिवार्य होगा।
6	वर्चुअल मेला प्रदर्शनी के आयोजन हेतु आर्थिक सहायता।	(क)	इस श्रेणी के अन्तर्गत आर्थिक सहायता केन्द्र/राज्य सरकार के विभिन्न विभागों/ मंत्रालयों के अधीन गठित निर्यात संवर्धन परिषदों द्वारा वर्चुअल मेला प्रदर्शनी के आयोजन हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।
		(ख)	वर्चुअल मेला-प्रदर्शनी पर हुए कुल व्यय की 75 प्रतिशत अधिकतम रु0 25.00 लाख की धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में आयोजक संस्था को उपलब्ध कराई जायेगी।
		(ग)	इस श्रेणी के अन्तर्गत आयोजित वर्चुअल मेला प्रदर्शनी में न्यूनतम 100 एम.एस.एम.ई./हस्तशिल्पी इकाइयों द्वारा प्रतिभाग किया जायेगा, जिनमें से 50 प्रतिशत इकाइयों का निर्यातक होना अनिवार्य होगा।
		(घ)	प्रश्नगत वर्चुअल मेला प्रदर्शनी में क्रेता के रूप में प्रतिभाग/विजिट करने वाली इकाइयों की संख्या एक्ज़ीबीटर/विक्रेता/ निर्यातक

			इकाइयों का न्यूनतम तीन गुना होना आवश्यक होगा।
		(च)	प्रश्नगत वर्चुअल मेला प्रदर्शनी में प्रतिभाग/विजिट करने वाले क्रेता में न्यूनतम 75 प्रतिशत क्रेता का विदेशी क्रेता होना आवश्यक होगा।
7	निर्यात उत्पादों के प्रचार-प्रसार हेतु विदेशी पत्र-पत्रिकाओं, मैगज़ीन, समाचार पत्रों में विज्ञापन का प्रकाशन, नई वेबसाइट के निर्माण, उत्पाद से सम्बन्धित कैटलॉग आदि के मुद्रण एवं डिजिटल कैटलॉग के निर्माण हेतु आर्थिक सहायता।	(क)	इस श्रेणी के अन्तर्गत निर्यातक इकाई द्वारा किये गये वास्तविक व्यय का 60 प्रतिशत, अधिकतम् धनराशि रू0 75,000/- की आर्थिक सहायता अनुमन्य होगी।
8	विदेशी क्रेता को नमूने (Free Trade Sample) भेजने हेतु आर्थिक सहायता।	(क)	विदेशी क्रेता को नमूने (Free Trade Sample) भेजने पर किये गये वास्तविक व्यय का 75 प्रतिशत अधिकतम धनराशि रू0 1.00 लाख की आर्थिक सहायता अनुमन्य होगी।
9	गुणवत्ता नियंत्रण, कम्प्लाइन्सेस/ रेगुलेशन आदि से सम्बन्धित विभिन्न प्रमाणीकरणों जैसे - कन्फर्मिटी यूरोपियन (CE), चाईना कम्पलसरी सर्टिफिकेट (CCC), सी.ई. मार्किंग (CE), आई.एस.ओ., बी.आई.एस.,	(क)	निर्यातक इकाई द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण से सम्बन्धित विभिन्न प्रमाणीकरणों का वास्तविक व्यय का 50 प्रतिशत, अधिकतम धनराशि रू0 2.00 लाख प्रति निर्यातक इकाई प्रति वर्ष की आर्थिक सहायता अनुमन्य होगी।

	आर.ई.ए.सी.एच. (REACH) सर्टिफिकेशन, यू.एल. (UL) सर्टिफिकेशन, सी.पी.एस.आई.ए. टेस्टिंग (CPSIA), के.सी. (KC) मार्क, जी.टी.ई.एस. (GTE) सर्टिफिकेशन, एफ.सी.सी. (FCC) सर्टिफिकेशन, वूलमार्क, हाल मार्क एवं एच.ए.सी.सी.पी. (HACCP) आदि प्राप्त किये जाने एवं बायर्स/बायर कन्ट्री द्वारा मांगे जाने पर उक्त प्रमाणीकरणों से सम्बन्धित उत्पादों के परीक्षण (विभिन्न टेस्टिंग लैब्स द्वारा) पर आने वाले व्यय हेतु आर्थिक सहायता।	(ख)	निर्यातक इकाई द्वारा गुणवत्ता नियंत्रण, कम्प्लाईन्सेस/रेगुलेशन आदि से सम्बन्धित प्राप्त किये जाने वाले विभिन्न प्रमाण पत्रों की सूची को समय-समय पर अद्यतन किये जाने का अधिकार योजनान्तर्गत गठित राज्य स्तरीय समिति में निहित होंगे।

3. योजनान्तर्गत आर्थिक सहायता हेतु आवेदन की प्रक्रिया :-

(1) निर्यातक इकाइयों द्वारा कार्य सम्पादन की तिथि से अधिकतम 120 दिन के भीतर दावा ऑनलाइन फाइल किया जायेगा। मेला प्रर्दशनी श्रेणी मे उक्त अवधि की गणना मेला समाप्त होने की तिथि से होगी। नमूना प्रेषण श्रेणी में उक्त 120 दिन की अवधि की गणना दावे में सम्मिलित किये गये नमूनों में से अन्तिम नमूने के प्रेषण एवं तत्संबंधी निर्गत की गई इन्वाइस की तिथि से की जाये। प्रचार-प्रसार श्रेणी के दावो मे उक्त अवधि की गणना कैटलाग प्रिन्टिग संबंधी निर्गत इन्वाइस की तिथि/वेबसाइट डेवलपमेन्ट की तिथि से होगी। आई0एस0ओ0/ बी0आई0एस0 श्रेणी के दावों में उक्त अवधि की गणना सर्टिफिकेट जारी होने की तिथि से होगी।

(2) निर्यातक इकाई द्वारा ऑनलाइन आवेदन के समय अपने दावे के साथ समस्त वांछित अभिलेखों की प्रतियॉ अपलोड भी जानी होगी।

(3) इकाई द्वारा ऑनलाइन आवेदन की तिथि से 07 दिवसों की अवधि तक आवेदन-पत्र मे हुई त्रुटियॉ स्वयं संशोधित की जा सकेगी। इकाई द्वारा ऑनलाइन आवेदन की तिथि से 07 दिवस की अवधि के उपरान्त दावा जिला उद्योग केन्द्र के पोर्टल पर प्रदर्शित होने लगेगा। उपायुक्त द्वारा जिला उद्योग केन्द्र के पोर्टल पर योजनान्तर्गत दावों के प्रदर्शित होने की तिथि से 21 दिवस की अवधि मे पूर्ण पाये गये दावों का परीक्षण कर संस्तुति सहित निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उ0प्र0 लखनऊ को अग्रसारित किया जायेगा।

(4) अपूर्ण पाये गये दावों की स्थिति मे उपायुक्त उद्योग द्वारा पोर्टल पर दावे की अपूर्णता एवं उसका विवरण अंकित किया जायेगा। अपूर्ण दावों से संबंधित अभिलेख निर्यातक

इकाई द्वारा 15 दिवसो मे अपलोड किया जाना होगा अन्यथा की स्थिति मे दावा स्वतः निरस्त हो जायेगा। इकाई द्वारा अपूर्ण दावो के संबंध मे औपचारिकताओं को पूर्ण किये जाने पर उपायुक्त उद्योग द्वारा 21 दिवसों की अवधि मे दावे का परीक्षण कर निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उ0प्र0 लखनऊ को अग्रसारित किया जायेगा।

(5) उपायुक्त उद्योग द्वारा 21 दिन की निर्धारित समय सीमा में निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो को अग्रसारित अथवा अपूर्णता की स्थिति में इकाई को वापस (Revert) न किये जाने की स्थिति में दावे स्वतः निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो को अग्रसारित हो जायेंगे। निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो द्वारा इस सम्बन्ध में दायित्व निर्धारित करते हुए सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(6) उपायुक्त उद्योग से अग्रसारित दावो पर स्पष्ट संस्तुति होने पर निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा 15 दिवस मे दावे को ऑनलाइन प्राप्त किया जायेगा। निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो द्वारा दावे को ऑनलाइन प्राप्त करने पर दावा एजेण्डे मे सम्मिलित हो जायेगा, जिसे योजनान्तर्गत गठित समिति की बैठक मे विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

4. निर्यातक इकाइयों द्वारा दावों को ऑनलाइन फाइल किये जाने की प्रक्रिया, दावों के परीक्षण करने हेतु निर्यातक इकाई द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले अभिलेखों का निर्धारण एवं इसमें संशोधन का अधिकार राज्य स्तरीय समिति में निहित होंगे। योजनान्तर्गत प्राप्त होने वाले दावों/आवेदन पत्रों को स्वीकृत करने का अधिकार निम्नानुसार गठित राज्य स्तरीय समिति में निहित होगा :-

(1)	निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश	अध्यक्ष।
(2)	निदेशक, कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार विभाग, उत्तर प्रदेश	सदस्य।
(3)	वित्त नियंत्रक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उत्तर प्रदेश	सदस्य।
(4)	सम्बन्धित जनपद के उपायुक्त उद्योग	सदस्य।
(5)	संयुक्त/अपर निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, उत्तर प्रदेश	सदस्य सचिव।

5. योजनान्तर्गत निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो को प्राप्त होने वाले समस्त दावे स्वीकृति हेतु उक्तानुसार गठित समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे। दावों की स्वीकृति हेतु उक्त समिति की बैठक प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में आहूत की जायेगी। "किसी वित्तीय वर्ष में योजनान्तर्गत समुचित बजट उपलब्ध न होने की स्थिति में अवशेष दावों का भुगतान अगले वित्तीय वर्ष में प्राप्त बजट से किया जायेगा।"

6. इस योजना के अन्तर्गत कोई भी निर्यातक इकाई मेला प्रदर्शनी श्रेणी में एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 03 बार ही आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती है। किसी भी एक मेला-प्रदर्शनी हेतु पात्र निर्यातक इकाई को इस योजना हेतु आर्थिक सहायता तभी अनुमन्य होगी यदि निर्यातक इकाई द्वारा केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा समान उद्देश्य हेतु संचालित किसी अन्य योजना से समान प्रकृति का पूर्ण या आंशिक लाभ न लिया गया हो।

7. योजनान्तर्गत प्राप्त होने वाले दावों की स्वीकृति प्रथम आवत प्रथम पावत के आधार पर की जायेगी तथा बजट उपलब्धता के आधार पर आर्थिक सहायता का वितरण डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर के माध्यम से सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में किया जायेगा।

8. यदि किसी स्तर पर यह पाया जाता है कि इकाई द्वारा योजनान्तर्गत अनुमन्य आर्थिक सहायता का दुरूपयोग किया गया है अथवा जानबूझ कर गलत तथ्य/विवरण प्रस्तुत किये गये हैं अथवा छिपाये गये हैं तो इकाई से सम्पूर्ण धनराशि राजस्व देयों की भांति वसूल की जायेगी तथा इकाई को काली सूची में डालते हुए भविष्य में किसी भी प्रकार की शासकीय आर्थिक सहायता हेतु अपात्र घोषित कर दिया जायेगा।

9. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगें।

भवदीय,

(नवनीत सहगल)
अपर मुख्य सचिव

संख्या-236 /(1)/18-4-2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अपर मुख्य सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उ0प्र0 कानपुर।
3. वित्त नियंत्रक, उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय, उ0प्र0 कानपुर।
4. निदेशक, उत्तर प्रदेश निर्यात संवर्धन परिषद, लखनऊ।
5. समस्त परिक्षेत्रीय अपर/संयुक्त निदेशक, उद्योग, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त उपायुक्त, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केन्द्र, उत्तर प्रदेश।
7. संयुक्त निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो उ0प्र0 लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पन्ना लाल)
संयुक्त सचिव